

14-7-17

पत्रावली कोर्ट केम्प दरीवा पर
पेश। वक्त कोर्ट केम्प पर लहे शरीजदार
मे कतापा विज वादी की मूल्य हो
सुनी है मूल्य के बाद शजरज शब्दा
मे वारिसान के नाम आ सुने है
वादी के वारिसान द्वारा आज तक कामपत
मुकाम का प्रपना पत्र पेश करना बाह्ये
जो वही विप्रा गपा है कामपत मुकामे
90 दिवस की मुकामे में पेश करना
बाह्ये

आदेश

वादी के वारिसान द्वारा आज तक
कामपत मुकामे प्रपना पत्र पेश नहीं
करने से बाद पत्र शरीज विप्रा जाता
है।

आज दिनांक 14-7-2017 को कोर्ट
केम्प दरीवा पर सर काम सुनाया
गया।

पत्रावली पेशाल गुमार हो कर
गम्बर में काम है।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, भीलवाडा

उनवान

1. श्री देवी लाल पिता बालू तेली निवासी दरीबा वादी
- 1- श्री मधुराज पिता बालू जगत तेली नि. दरीबा
- 2 " रुपलाल पिता _____ " _____
- 3 " सोहनी पुत्रा _____ " _____
- 4 " जयलाल पुत्र डालचंद तेली नि. दरीबा
- 5 " भुरालाल पुत्र _____ " _____
- 6 " मूलचंद डाल _____ " _____
- 7 श्रीमती वरपुत्री पत्नी _____ " _____
- 8 " मांशा देवी पत्नी _____ " _____
- 9 " एम देवी पत्नी श्री नारायण तेली दरीबा
- 10 " दाह शील वार भीलवाड़ा
- 11 " उग्र पत्नीयक भीलवाड़ा

एतिलवादेश

दावा बाबत- 531887 का अ
 मुकदमा नम्बर :- 26/14
 निर्णय दिनांक :- 14.7.17

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

वादी के वादिसान द्वारा आज तेलीवापस मुकाम प्राप्त करने के लिए नही करने से वाद पत्र श्वारीय विषय जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।
 यह आज तारीख 14.7.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

12